(98)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल अध्यक्ष महोदय, ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण कमांक /2013 R-3801-III/13

अवनीश जाफरी आत्मज श्री ई.एन. जाफरी
निवासी मिशन कंपाउड सीहोर जिला सीहोर ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

म0प्र0 शासन ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 07/09/2013 प्रकरण कमांक 1/अ–76/12–13 (राशि वसूली बावत) में पारित द्वारा श्रीमान् तहसीलदार वसूली सीहोर म0प्र0

प्रकरण जो आहुत किय जाने है:–

01. **प्रकरण कमांक 01/अ–76/12–13 न्यायालय श्रीमान् वसूली तहसीलदार महोदय, सीहोर (शासन विरूद्व अवनिश जाफरी व अन्य)**

श्रीमान् जी,

निगरानीकर्ता उपरोक्त आदेश दिनांक 07/09/2013 से प्रभावित एवं दुखी होकर उचित समय सीमा मेंउचित न्याय शुल्क के साथ्ज्ञ निगरानी प्रस्तुत करता है:–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि एवं प्रकिया के विपरीत जाकर दिनांक 03/05/2013 को प्रापत पत्र जो कि दिनांक 30/04/2013 को जारी होना बताया गया को आधार बनाकर निगरानी कर्ता को सूचना पत्र वास्ते अनुदान राशि वसूली हेतु (सूचना पत्र) जारी किया गया जिसे निगरानीकर्ता ने अधिनीस्थ न्यायालय के सममक्ष उपस्थित होकर दिनांक 07/09/2013 प्रारंभिक आपत्ति आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म.प्र.भू.रा.स. 1959 एंव सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. के माध्यम से निरस्त करने का निवेदन किया गया जिसे रिकार्ड

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी– 3801–दो / 13 जिला–सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
9–5–17 भोपाल	आवेदक के अधिवक्ता श्री एन0 एस0 ठाकुर को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं । आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (2) के अन्तर्गत अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	